# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 222 सन 2021

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

**बनाम**

1. अमरचन्द पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
3. हंसराज पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
4. सुभाषचन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :–** 20/09/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 19/20 की कुल 8.9170हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 – 1/5 हिस्सा एवं रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 8/6 की कुल 12.9120हैक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 94/94 की कुल 33.5630हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 3794/167815 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटचारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज ळे एवं अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही होने के कारण खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 19/20 की कुल 8.9170हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 – 1/5 हिस्सा एवं रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 8/6 की कुल 12.9120हैक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 94/94 की कुल 33.5630हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 3794/167815 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटचारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज ळे एवं अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही होने के कारण खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 19/20 की कुल 8.9170हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 – 1/5 हिस्सा एवं रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 8/6 की कुल 12.9120हैक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 94/94 की कुल 33.5630हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 3794/167815 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का कथन है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 सयुक्त खाते में खातेदार काश्तकार है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है एवं एक ही परिवार के सदस्य काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए सयुक्त खाते की भूमि का खाता व लगान अलग अलग करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

वादी के पास रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 19/20 के खसरा न0 227/1 की 2.530हैक दक्षिणी दिशा की रहेगी एवं रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 8/8 के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खसरा न0 177/1 की 1.265हैक भूमि पूर्वी दिशा की भूमि रहेगी एवं रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 94/94 की कुल 33.5630हैक में से सयुक्त रूप से 1.1385हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 8/8 के खसरा न0 114/1 की 3.036हैक भूमि पूर्वी पासा की रहेगी एवं खसरा न0 58/1 की 1.8720हैक भूमि रहेगी

प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 19/20 के खसरा न0 229/1 की 2.530हैक भूमि उतरी दिशा की रहेगी एवं रोही मोजा बाच्छुसर के खाता संख्या 8/8 के खसरा न0 177/1/2 की 1.265हैक भूमि मध्य पश्चिमी दिशा की रहेगी एवं रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 94/94 की कुल 33.5630हैक में से सयुक्त तौर से 1.518हैक भूमि रहेगी ।

प्रतिवादी संख्या 3 के पास रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 19/20 के खसरा न0 229/2 की 1.2650हैक भूमि उतरी दिशा की रहेगी एवं रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 8/8 के खसरा न0 114/2 में से 1681हैक भूमि पश्चिमी दिशा की रहेगी एवं खसरा न0 177/1/3 की 2.528हैक भूमि उतरी –पश्चिमी दिशा की रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 4 के पास रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 19/20 के खसरा न0 229/3 की 2.592हैक भूमि उतरी दिशा की रहेगी व खसरा न0 227/2 की 2.530हैक भूमि दक्षिणी मध्य– भाग की रहेगी , एवं रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 8/8 के खसरा न0 177/1/4 की 1.2650हैक भूमि मध्य पूर्वी दिशा की रहेगी रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 94/94 की कुल 33.5630हैक में से सयुक्त तौर से 1.1385हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ़ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**वादी**

**बनाम**

1 अमरचन्द पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
3. हंसराज पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
4. सुभाषचन्द्र पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 923 सन 2021 निर्णय दिनांक– 20/09/2021**

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी के पास रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 19/20 के खसरा न0 227/1 की 2.530हैक दक्षिणी दिशा की रहेगी एवं रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 8/8 के खसरा न0 177/1 की 1.265हैक भूमि पूर्वी दिशा की भूमि रहेगी एवं रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 94/94 की कुल 33.5630हैक में से सयुक्त रूप से 1.1385हैक भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 8/8 के खसरा न0 114/1 की 3.036हैक भूमि पूर्वी पासा की रहेगी एवं खसरा न0 58/1 की 1.8720हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 19/20 के खसरा न0 229/1 की 2.530हैक भूमि उतरी दिशा की रहेगी एवं रोही मोजा बाच्छुसर के खाता संख्या 8/8 के खसरा न0 177/1/2 की 1.265हैक भूमि मध्य पश्चिमी दिशा की रहेगी एवं रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 94/94 की कुल 33.5630हैक में से सयुक्त तौर से 1.518हैक भूमि रहेगी ।प्रतिवादी संख्या 3 के पास रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 19/20 के खसरा न0 229/2 की 1.2650हैक भूमि उतरी दिशा की रहेगी एवं रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 8/8 के खसरा न0 114/2 में से 1.1681हैक भूमि पश्चिमी दिशा की रहेगी एवं खसरा न0 177/1/3 की 2.528हैक भूमि उतरी –पश्चिमी दिशा की रहेगी।प्रतिवादी संख्या 4 के पास रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 19/20 के खसरा न0 229/3 की 2.592हैक भूमि उतरी दिशा की रहेगी व खसरा न0 227/2 की 2.530हैक भूमि दक्षिणी मध्य– भाग की रहेगी , एवं रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 8/8 के खसरा न0 177/1/4 की 1.2650हैक भूमि मध्य पूर्वी दिशा की रहेगी रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 94/94 की कुल 33.5630हैक में से सयुक्त तौर से 1.1385हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर